

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संख्या—३/एल—०६—०१—०९/२०२४—

/स्वा०, पटना, दिनांक:

डा० अशोक कुमार चौधरी (वरीयता क्रमांक—१०६१९/२००८), प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानपुर, सीतामढ़ी को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा सहिता के नियम ७४(बी०), सहपठि वित्त विभागीय पत्रांक—६१९० दिनांक २७.०४.१९७९ में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि र इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृति के पश्चात डा० अशोक कुमार चौधरी को विरुद्ध किसी प्रकार की वित्तीय अनियन्त्रिता का विषय सज्जान में आता है या वे दोषी पारं जाते हैं तो डा० अशोक कुमार चौधरी की सेवा निवृति लाभों से उसकी भरपाई की जा सकेगी।

२. डा० अशोक कुमार चौधरी भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/संविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

३ प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

४०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के अवर सचिव

झापाक

१८८३

/स्वा०, पटना, दिनांक १७/०३/२५

ई-मेल/
स्पीड फोर्स्ट

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ल०० एव० ह०), बिहार, दीर्घन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (व००द००नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही अनुरोध है कि डा० अशोक कुमार चौधरी का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि: अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/निदेशक प्रमुख, स्नास्थ रोवाँ बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/असैनिक शल्य विकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/अपर मुख्य विकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२ असैनिक शल्य विकित्सक-राह-मुख्य विकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी से अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवा निवृत, डा० अशोक कुमार चौधरी का सेवान्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियो मे पेंशन प्रपत्र, वांछित कागजात सहित शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानपुर, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशास्या—२, ८, ९ एवं १८ए को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०२ निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधितो के ई-मेल आई०टी० पर अधिसूचना की प्रति आज हीं भेजना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०य०० लीड/डाटा एनॉलिरट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W.M.K. १५३८
सरकार के अवर सचिव